कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 15.09.2025

विषयः- थाना रामनगर पुलिस द्वारा घातक हथियार के साथ गाली-गलौज करने से सम्बन्धित मुकदमें में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में दिनांक 14/09/2025 को आपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष को उसके घर सीहाबीर गोलाघाट से कारण गिरफ्तारी बताकर सम्बन्धित मु0अ0सं0 0230/2025 धारा 191(2),191(3),190,333,324(4),109(1), 351(2),352 बी0एन0एस0 में रात्रि में हिरासत पुलिस में लिया गया।

घटना का विवरण:- दिनांक 12/09/2025 को वादिनी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिलीप यादव दरोगा अपने साथी व 3-4 अज्ञात लोग द्वारा घातक हथियार के साथ घर मे घुसकर गाली गलौज करना व गाड़ी को तोड़ना व जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से असलहा से फायर किये । अभियोग उपरोक्त में घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी को उसके घर सीहाबीर गोलाघाट से दिनांक 14/09/2025 को गिरफ्तार किया गया व घटना उपरोक्त में संलिप्त अन्य लोगों की पुलिस द्वारा पहचान कर साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ:- दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष पूछताछ करने पर बता रहा है कि दिनांक 12/09/2025 को मैं अपने अन्य साथियों के साथ व 3-4 अन्य लोग थे जिनका नाम पता मैं नही जानता हूं , के साथ वादिनी मुकदमा वादिनी के घर कजरी सुल्तानपुर रामनगर व एक अन्य के घर जनकपुर में पूर्व के विवाद को लेकर गाली गलौज व फायर किया गया था।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान - दिनांक 14/09/2025 को,सीहाबीर गोलाघाट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र बबलू यादव निवासी सीहाबीर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –1. मु0अ0सं0 0009/2023 धारा 147/323/435 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0043/2023 धारा 147/148/149/307/308/323/504 भा0द0वि0 व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0241/2024 धारा 110/115(2)/117(2)/190/191(2) बी0एन0एस0 थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 दुर्गा सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 आदित्य राय चौकी प्रभारी भीटी थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।
4. उ0नि0 अनिल राजपूत थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।

5. म0उ0नि0 गरिमा गौतम थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।
6. का0 श्रीकान्त वर्मा थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।
7. का0 रविशंकर थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी